



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 986 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 986

विषय / Sub: टैंक टू टैंक कनेक्टर – दो तरह के / Tank to Tank Connector – Two Types

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स वीटा टेक्नॉलजी प्राइवेट लिमिटेड, 3/1, यलचेनहल्ली, 10 किमी, कनकपुरा रोड, जे.पी.नगर पोस्ट, बेंगलूरु – 560 078, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " टैंक टू टैंक कनेक्टर- दो तरह के " पार्ट संख्याएं ए) 201पी 281एच 3000 207 और बी) 201पी 281एच 3000 208 को सन्दर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-986 दिनांक 07 जनवरी 2003 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 986 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-986/2आर दिनांक 28 अक्टूबर 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

This is to state that the "Tank to Tank Connector – Two Type" bearing the Part No. a) 201P 281H 3000 207 and b). 201P 281H 3000 208 designed and developed & manufactured by M/s Vita Technology Pvt. Ltd., 3/1 Yelachenahalli, 10 Km Kanakpura Road, J. P Nagar Post, Bengaluru 560078 has been issued with Type Approval No. 986 Vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-986 dated 07th January 2003. This was subsequently renewed Vide Ref No. CEMILAC/5070/TA-986/2R, dated: 28th October 2013 with valid up to 31st December 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकाप्टर), बेंगलूरु – 560017 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), Bengaluru - 560017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलाक/5070/टीए986, दिनांक 07 जनवरी 2003 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No. CEMILAC/5070/TA-986 dated 07th January 2003 is amended as stated herewith.

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-986/3R

दिनांक/Date : 04 Feb January 2019

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

SR HR.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)